संख्या–पी–50/14–2–2015–800(79)/2015

प्रेषक,

सुनील पाण्डेय,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्दीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर, 2015

विषयः– उन्नाव–कानपुर राज्य मार्ग संख्या–58 के किमी0 3.100 से 15.800 के मध्य 4 लेनिंग चौड़ीकरण एवं साइकिल टैक/सर्विस लेन के निर्माण में प्रभावित 22.606 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2235 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी/09/6/24/2015/एफसी/596, दिनांक 18–8–2015, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से 22 बिन्दुओं पर की आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक–590/11सी–यू0पी0–058/2015, दिनांक 11–9–2015 द्वारा उन्नाव–कानपुर राज्य मार्ग संख्या– 58 के किमी0 3.100 से 15.800 के मध्य 4 लेनिंग चौड़ीकरण एवं साइकिल टैक/सर्विस लेन के निर्माण में प्रभावित 22.606 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2235 वृक्षों के पातन की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव विषयगत संशोधित प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील पाण्डेय)
सचिव।

संख्या–पी 50(1)/14–2–2015–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।